न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकडी जिला अजमेर

मुकदमा नम्बर 39/2018

1. प्रेमलतापुत्री रंगलाल जाति माली निवारी बघेरा तहसील केकडी जिला अजमेर।

------प्रार्थीगण

बनाम

1. मिलापचन्द पुत्र लादूलाल जाति जैन महाजन निवारी बघेरा तहसील केकडी जिला अजमेर
2. राज.सरकार जरिये तहसीलदार केकडी

----अप्रार्थीगण

3. देवीसिंह पुत्र अमरचन्द
4. भंवरीदेवी पुत्री अमरचन्द
5. कंवरी पुत्री अमरचन्द
6. मधुदेवी पुत्री अमरचन्द
7. रूपा बाई पत्नि अमरचन्द

तमाम जाति महाजन निवासीगण बघेरा तहसील केकडी जिला अजमेर

राज.अभिधृति अधि.1955 की धारा 251क की उपधारा 1

दिनांक 16.12.21

आदेश

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम बघेरा तहसील केकडी जिला अजमेर की जमाबन्दी स . 2073–76 के खाता स. नया–पुराना 819–813 ख.न. 282 रकबा 2.08 है. बारानी प्रथम में आधा हिस्सा है। अप्रार्थीगण के खाता स. 1188–1195 नया–पुराना , खसरा नम्बर 284 रकबा 3.11 है. किस्ब बारानी प्रथम आराजी खसरा नम्बर 282 जो कि प्रार्थीया व प्रफॉर्मा अप्रार्थीगण की है। जिसमें प्रार्थीया का 1/2 हिस्सा है। तथा शेष हिस्सा प्रफॉर्मा अप्रार्थीगण का है। जिसमें आने–जाने हेतु रास्ता खसरानम्बर 285 किस्म गै.मु. रास्ता से शुरू होकर खसरा नम्बर 284 की उत्तरी मेड जो कि अप्रार्थी श्री मिलाप चन्द पुत्र लादूलाल जाति जैन महाजन निनवासी बघेरा तहसील केकडी की आराजीयात से होता हुआ अप्रार्थी की आराजीयात तक पहुचता है। उक्त रास्ता कदीमी है। तथा रास्ता 20 फीट चौडा है। तथा इस रास्ते के अतिरिक्त प्रार्थीया की आराजी में जाने का कोई रास्ता नहीं है। प्रार्थीया को अप्रार्थी मिलापचन्द पुत्र लादूलाल जाति जैन निवासी बघेरा तह.केकडी द्वाराउक्त रास्ते पर आने जाने पर रूकावट पैदा कर रहा है। तथा बार बार कहने पर भी सहमति नहीं दे रहा है ... में गढढा खोदकर वर्तमान रास्ते में बाधा उत्पन्न कर रूकावट जारी है ... है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2022.01.17 13:51:25 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
केकडी (अजमेर)

Scanned with CamScanner

अतः उक्त विद्यमान मार्ग को रास्ते के रूप में अभिलेखित किया जावें। इस हेतु प्रार्थीया नियमानुसार राशि जमा कराने हेतु तैयार है। प्रार्थीया उक्त ख.न. के लगवा अप्रार्थी के पुत्र रमेश पुत्र मिलापचन्द की आराजीयात ख.न. 271 स्थित है। जिसमें भीआने जाने हेतु उक्त रास्ता 285 से शुरू होकर ख.न. 284 में पहुंचता है।

प्रकरण श्रवणाधिकार एंव क्षैत्राधिकार का है जिसे दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया । प्रकरण में तहसीलदार केकड़ी से जांच रिपोर्ट प्राप्त की गई ।

प्राप्त जांच रिपोर्ट अनुसार खसरा नम्बर 282 रकबा 3.11 है. जो कि प्रेमलता पुत्री रंगलाल माली हिस्सा 1/2 साकिन देह खातेदार के नाम दर्ज है। जिसमें जाने हेतु सार्वजनिक गै.मु.रास्ता से ख.न. 284 की उत्तरी मेड से रास्ते की मांग की है जो कि उपयुक्त रास्ता है। नजरी नक्शा अनुसार सही पाया गया है। खसरा नम्बर 284 की उत्तरी मेड से 96 मीटर लम्बवत व 5 मीटर चौडा कुल 480 व.मी. जिसकी किमत 2,70,804 गुणा 480 गुणा 2 बराबर 25996/– अक्षरे पच्चीस हजार नौ सौ छियानवे रूपये/– अप्रार्थीगण को भुगतान करने पर रास्ता दिये जाने की सहमति तहसीलदार केकडी द्वारा प्रस्तावित की है।

प्रार्थीया के वकील ने प्रार्थना पत्र में अंकित कथनों को दोहराया तथा रास्ता देने की प्रार्थना की। तहसीलदार केकडी के पेरोकार सरकार ने जवाब के कथनो को दोहराया ।

पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया व वकील पक्षकार की बहस पर घोर किया । ग्राम बघेरा तहसील केकडी जिला अजमेर के खसरा नम्बर 282 रकबा 3.11 है. जो कि प्रेमलता पुत्री रंगलाल माली हिस्सा 1/2 साकिन देह खातेदार के नाम दर्ज है, जिसमें जाने हेतु सार्वजनिक रास्ते से ख.न. 284 की उत्तरी मेड से रास्ते की मांग की है जो कि उपयुक्त रास्ता है। नजरी नक्शा अनुसार सही पाया गया है। खसरा नम्बर 284 की उत्तरी मेड से 96मीटर लम्बवत व 5 मीटर चौडा कुल 480 व.मी. जिसकी किमत 2,70,804गुणा 480 गुणा 2 बराबर 25996/–अक्षरे पच्चीस हजार नौ सौ छियानवे रूपये/– प्रार्थीया से प्राप्त कर अप्रार्थी स. 1 को भुगतान करने की कार्यवाही एवं उक्त रास्ते को सार्वजनिक रास्ते के रूप में राजस्व रिकॉर्ड एंव नक्शा ट्रेस में इन्द्राज की कार्यवाही तहसीलदार केकडी द्वारा की जावें । खर्चा फरिकेन अपना–अपना वहन करें।

आदेश मजमें आम प्रशासन गावो के संग 2021 केम्प बघेरा में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2022.01.17 13:51:25 IST
Reason: SelfAttested

विकास पंचोली
उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी (अजमेर)

उपखण्ड अधिकारी
केकडी

Scanned with CamScanner